न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनाक	निर्णय दिनांक
79 / 2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	27.09.19	26.11.2019

उनवान सरकार बनाम दारासिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपुत निवासी सिंघाना जिला झुन्झुनुं(राज0)

-: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंघाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा में अतिकमण दारासिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपुत निवासी सिंघाना ने 5–10 मी0 की दूरी पर ठैले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिकमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी ठैलो वालो का मौखिक रूप से अतिकमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनाक तक अतिकमण नही हटाया गया है। अतः अतिकमी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/1272 दिनाक 20.08.2019 को मूल प्रकरण मय तहसीलदार सिंघाना को अतिकमीके विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिकमी दारासिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपुत निवासी सिंघाना को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिकमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते है। अतः यह न्यायालय अतिकमी दारासिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति राजपुत निवासी सिंघाना ने एन. एच. 11 एंव सिंघाना सर्किल पर 5–10 मी0 की दूरी पर (स्थाई रूप से) ठेले का अतिकमण किए जाने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते है।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिकमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner